भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1939

उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

उच्च शिक्षा में वित्तपोषण संबंधी पैटर्न

1939 **श्री संदोष कुमार पी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के लिए आवंटित और जारी किए गए केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, और वे प्रमुख योजनाओं कौन सी हैं जिनके तहत ऐसी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय वित्तपोषण के पैटर्न या मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान और पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा पर व्यय बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए बजट आवंटन में लगातार वृद्धि करती रही है, जो वर्ष 2021-22 में 34,006.39 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 50,747.66 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान, पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस), प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (पीएम-ओएनओएस) जैसी प्रमुख योजनाओं सहित उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

उच्चतर शिक्षा विभाग का वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ में)				
2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
34,006.39	**38,994.90**	**43,436.11**	**46,055.44**	**50,747.66**

उच्चतर शिक्षा विभाग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में परियोजनाओं के अनुमोदन के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके निधि उपयोग में प्रदर्शन के आधार पर, वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने के बाद केंद्रीय निधियाँ जारी की जाती हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान रूसा/पीएम-उषा के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय निधियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फोकस जिलों की पहचान निम्न सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है।

योजना के तहत, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए छात्रावासों, शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पीएम-उषा के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षा में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और स्वयम/एमओओसी जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना; प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सदस्यता के साथ स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण; और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण, आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित अकादमिक और अवसंरचनात्मक क्षमता के विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया है, जो आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरूपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी

भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त 6,500 विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में बालिकाओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोरों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने तथा प्रत्येक जिले में 1 बालिकाओं का छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।

अनुलग्नक-I

'उच्च शिक्षा में वित्तपोषण संबंधी पैटर्न' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संदोष कुमार पी द्वारा दिनांक 05.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1939 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

रूसा/पीएम-उषा के अंतर्गत विगत 5 वित्तीय वर्षों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय हिस्सेदारी

(समस्त राशि रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				10.00	
2	आंध्र प्रदेश				2.15	37.36
3	अरुणाचल प्रदेश		27.73	14.38		10.00
4	असम	9.90	68.43	17.15	40.82	64.34
5	बिहार	6.45				3.92
6	चंडीगढ़				16.23	5.00
7	छतीसगढ़		32.79	3.14	8.02	11.56
8	दादर और नगर हवेली दमन और दीव					
9	गोवा	4.65		5.00	0.06	15.62
10	गुजरात				14.30	45.00
11	हरियाणा				0.00	3.09
12	हिमाचल प्रदेश	16.07		12.67	17.90	39.45
13	जम्मू और कश्मीर				45.06	27.66
14	झारखंड	23.49		4.31	27.50	29.50
15	कर्नाटक	4.50		5.62	40.36	41.26
16	केरल	8.70	67.40		2.40	42.66
17	लद्दाख			1.25		9.16
18	मध्य प्रदेश	12.30	26.40	17.50	5.30	29.32
19	महाराष्ट्र	39.50	31.22	21.25	5.85	92.49
20	मणिपुर	20.08		12.04		7.05
21	मेघालय		26.33			13.39
22	मिज़ोरम	5.40			11.66	14.80
23	नागालैंड				23.40	10.01
24	ओडिशा	20.90		13.68	17.50	11.72
25	पुडुचेरी					8.97
26	पंजाब	14.65			3.34	8.93
27	राजस्थान			9.89	22.82	37.64
28	सिक्किम			21.99		19.57
29	तमिलनाडु	14.45	43.37		5.12	33.00
30	तेलंगाना			15.99	18.10	36.83
31	त्रिपुरा		12.35		0.03	7.35
32	उत्तर प्रदेश	5.40				98.99
33	उत्तराखंड	30.46	23.50	5.21	9.60	41.93
34	पश्चिम बंगाल	12.25			3.33	6.69
	कुल	249.13	359.50	181.06	350.83	864.25
	कुल योग	**249.13**	**359.50**	**181.06**	**350.83**	**864.25**